न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः—06 / 2018

वादीनीः—

प्रियंका पुत्री रामजस जाति विश्नोई, निवासी ग्राम साईसर तहसील आऊ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. भोलाराम पुत्र भागीरथराम
2. ईशरराम पुत्र छोटूराम
3. विनोदराम पुत्र बाबूराम
4. बालाराम पुत्र निम्बाराम
5. माणकराम पुत्र छोटूराम
6. राजूराम पुत्र सुखाराम
7. मेगाराम पुत्र फुसाराम
8. जगूराम पुत्र चैनाराम
9. सुखराम पुत्र देवाराम
10. गोमाराम पुत्र किरताराम
11. मांगीराम पुत्र धूड़ाराम

सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम आऊ तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

उपस्थित

वादीगण – अधिवक्ता श्री राजेन्द्र परिहार।

प्रतिवादी संख्या 1 से 11 एक पक्षीय।

प्रतिवादी संख्या 12 सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 26/3/19

1. वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– तहसील फलोदी वर्तमान तहसील बापिणी के ग्राम आऊ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 435/39 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुई है जिसकी वादीनी खातेदार है। वादीनी के भूमि के पड़ौस इस प्रकार है:– उत्तर–बिजलीघर की भूमि, दक्षिण– देवाराम वगैरा के खातेदारी की भूमि, पूर्व–हाजीसागर रोड, पश्चिम पुनाराम पुत्र पुराराम मेघवाल की भूमि। उपरोक्त भूमि पर वादीनी द्वारा पटिटया रोपकर तारबन्दी करते हुए संरक्षित किया हुआ है एवं वादीनी इस पर शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार के काबिज है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है एवं वे गांव में इधर उधर लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर फिर कब्जा खाली करने हेतु मोटी रकम की मांग करते है एवं उन्हें ब्लेकमेल करते है एवं उनकी मांग पुरी नहीं होने की सूरत में वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के मुकदमें में फंसाने की धमकियां देते है। इसी क्रम में प्रतिवादीगण ने दिनांक 06.01.2018 को दिन में अकस्मात उक्त भूमि पर वादीनी की लगी हुई तारबन्दी को सड़क की तरफ से तोड़ने एवं जमीन पर पत्थर इत्यादी निर्माण सामग्री डालने के

सहायक कलेक्टर, फलोदी जिला जोधपुर

...क कलेक्टर, फलोदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रयास किये तथा कहा कि वे इस जमीन पर मन्दिर का निर्माण करेंगे जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को इस भूमि पर किसी तरह की निर्माण सामग्री न डालने एवं निर्माण नहीं करने हेतु कहा गया तो उस समय तो वे मान गये परन्तु जाते समय यह कह गये कि मौका पाकर वे कभी भी रात के समय में अथवा दिन में वादीनी की गैर मौजुदगी में तारबन्दी तोड़कर अन्दर घुस जायेंगे व निर्माण सामग्री डालकर अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य कर लेंगे एवं वादीनी ने इसमें रूकावट करने की कोशिश की तो वादीनी एवं उसके परिवार वालों के विरूद्ध एस.सी. एस.टी. एक्ट के तहत झुठा मुकदमा कर जेल में भिजवा देंगे। वादीनी विवादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदार है एवं इस पर कब्जा काश्त है जबकि प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है वे महज नाजायज तरीके से बलपूर्वक वादीनी की भूमि पर से वादीनी को बेदखल कर इस पर जबरन निर्माण कार्य करवा लेने पर उतारू है एवं यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते है तो वादीनी को अपार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं होगी। अतः वादीनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री की जावें कि प्रतिवादीगण को ग्राम आऊ तहसील फलोदी वर्तमान तहसील बापिणी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 435/39 रकबा 04 बीघा पर वादीनी के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी करने एवं इस पर कोई निर्माण कार्य करने व वादीनी को बेदखल करने से रोकते हुए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के लिये प्रतिबन्ध किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीनी उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 10, 11 का जवाब दावा पेश किया गया तथा दिनांक 12.03.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 10,11 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वादीनी के वाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। साथ ही अपने जवाब दावे में यह उल्लेख किया कि वादीनी का वाद झुठे तथ्यों एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है। वादीनी के वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किये गये।

1. आया वादीनी खसरा नम्बर 435/39 रकबा 4 बीघा के बाबत दखलंदाजी करने एवं इस पर कोई निर्माण कार्य करने व वादीनी को बेदखल करने से रोकते हुए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

   जिम्मे वादीनी

2. आया वादीनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है एवं वादीनी ने झुठे मिथ्या एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से वादीनी का वाद काबिले खारिज है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

3. अनुतोष।

यह है कि वादीनी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र स्वयं वादीनी प्रियंका जो पी.डब्ल्यू 01 है ... ज खां जो पी.डब्ल्यु 02 है प्रस्तुत किये तथा वाद पत्र के साथ ... दस्तावेजात प्रदर्शित किये गये जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेश प्रदर्श–02, बक्सीस नामा प्रदर्श–3ए, सहमति पत्र प्रदर्श–4ए है।

यह है कि वादीनी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावें।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा वादीनी के वाद पत्र व जवाब दावे का अध्ययन किया। वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादीनी के वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् व साक्ष्य शपथ पत्र से यह प्रमाणित है कि वादीनी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 435/39 रकबा 04 बीघा ग्राम आउ की रेकर्डेड खातेदार है। जिसकी जमाबन्दी प्रदर्श–01 है। वादीनी का रजिस्टर्ड बक्सीस नामा से भूमि वादीनी को प्राप्त होना प्रमाणित है इस प्रकार उपरोक्त तनकी संख्या वादीनी ने अपने दस्तावेजों व साक्ष्यों से प्रमाणित किया है इसलिए तनकी संख्या 1 वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुए है। इसलिए तनकी संख्या 2 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन यह तनकी प्रतिवादीगण ने किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं की है। इसलिए यह तनकी भी वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी ... शपथ पत्र से प्रमाणित है कि वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर चौकिदार

Scanned by CamScanner

अतः वादी वादीनी स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 जारी की जाती है कि ग्राम आऊ तहसील फलोदी वर्तमान तहसील बापिणी के खसरा नम्बर 435/39 रकबा 04 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें तथा वादीनी के उक्त भूमि में निर्माण कार्य बाबत् भी कोई दखलंदाजी नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो तथा पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 26/3/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner